भारत में सिविल सोसायटी
(लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सहायक)

21

डा० अनुराधा*

सिविल समाज से अभिप्राय गैर–सरकारी संस्थाओं जैसे सहकारी, व्यवसायिक एवं कर्मचारी संगठनों तथा उन व्यवस्थित संस्थाओं कर्मचारी संगठनों तथा उन व्यवस्थित संस्थाओं से सबंधित है जो राज्य तथा परिवार के बीच कड़ी का कार्य करता है। सामुदायिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीति समूह आज के युग में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल तो कई ऐसे अतंर्राष्ट्रीय सिविल सोसायटी का उदाहरण मिलता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में लगे हुए हे। विकास के क्षेत्र में देखे तो पर्यावरणीय या मानव अधिकारों से संबधित एन.जी.ओ. परंपरागत राजनीति के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ता नजर आता है। वैसे तो सिविल समात का व्यक्तित्व काफी पुराना है पर आधुनिक युग में इसे हेगल की रचना 'फिलोसफी ऑफ राइट्स' में ढूंढ़ सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो प्राचीन इतिहास के जाति पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे संस्थाओं में तथा ट्रेड गिल्ड्स में ढूंढ सकते है जो कि राज्य में स्वतंत्र एवं स्वायत्त होते थे और जिनका अपने सदस्यों पर नियंत्रण होता था। आजादी के बाद जैसे–जैसे देश 'पुलिस राज्य' से कल्याणकारी राज्य की और कदम बढ़ाता गया, वैसे–वैसे सिविल समाज की प्रासंगिकता भी बढ़ती गयी।

1990 के बाद भारत में उद्यमी शासन स्वरूप उभरता है जहां विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण जैसे तत्वों को बोलबाला दिखता है। ऐसे में सरकार का नियामिकीय स्वरूप एवं कल्याणकारी प्रवृत्ति में परिवर्तन दिखता है। अब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्ति में परिवर्तन दिखता है। अब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश में बाजार आधारित कारकों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। ऐसे में सिविल समाज न केवल सरकारी तंत्र बल्कि बाजारू तंत्र के सामने भी आम व्यक्ति या समूह की आवाज बुलंद करता नजर आता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल समाज मुख्यतः इन तरीकों से अपनी गतिविधियां संचालित करता है। प्रथम है, राज्य की केंद्रीकृत सत्ता को ध्यान में रखते हुए सिविल समाज उन लोगों या समुदायों के हितों को राज्य के सामने प्रतिनिधित्व करते हुए प्रस्तुत करता है जिनके पास अपनी आवाज नहीं है और न वो संगठित है। इस रूप में वो स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर एक ऐसा मंच प्रदान करता है

*असि० रिसर्च स्कालर, गांधी स्टडी सेंटर, आई०एन० पीजी कालिज, मेरठ

जहां तक सभी की पहुंच सभंव हो एवं उनकी भी आवाज राज्य/सरकार तक पहुँचे।

सिविल समाज की विषेशताएं

भारत में सिविल समाज का उदय सामाजिक आंदोलन के कारण हुआ है। जब आजादी के वैसे लोगों को भी राजनीतिक सहभागिता का अवसर मिला जो कि पहले तमाम बुराईयों के कारण संभव नहीं या, तब पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कष्षक आदि ने भारतीय लोकतंत्र द्वारा दिये गए अवसर को पाने का प्रयास करने लगे। साथ ही महिला पर्यावरणविद आदि ने भी एक नया राजनीतिक वातावरण का निर्माण करने की कोषिष की। ऐसे समय में सरकार एवं राजनीतिक दलों की अपेक्षा सिविल समाज को पनपने का मौका दिया। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि सरकार ने भी सिविल समाज को प्रोत्साहित किया ताकि विकासीय कार्यों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो सके। जैसे कि सातवें पंचवर्षीय योजना काल 1985–89 में सरकार ने इस संगठनों के योगदान को मान्यता दिया था। आज तो कई संगठन सरकार से अपने योगदान के लिए अनुदान पा रहे है। उन्हें तो बाह्य जगत से भी कोष उपलब्ध कराया जा रहा है। इन संगठनों की विषेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- परिवार एवं राज्य के बीच एक कड़ी के समान है।
- यह एक गैर–सरकारी तंत्र है जो बाजार तथा स्वयं से संचालित होता है। इनका अपना षासन

तंत्र है।

- सिविल समाज राज्य से स्वायत है। पर इसके अधीन है। अर्थात् राज्य के नियम–कानून का प्रसार इन समाजों तक भी है।
- इन समाजों का उदय राज्य–परिवार/व्यक्ति/समुदाय के बीच विरोधाभास का परिणाम है या फिर विकासीय जरूरत की मांग है।
- यह व्यक्तिगत पसंद–नापसंद को उजागर करता है। क्योंकि यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां व्यक्ति पर कम–से–कम कानूनी एवं नैतिक प्रतिबंध होते है।
- इस समाज के अंतर्गत विभिन्न सिविल एवं आर्थिक अधिकार होते है।
- सिविल समाज वर्गीय हितों को उजागर करता है, रक्षा करता है एवं राज्य को उचित ठहराता है।
- यह राजनीतिक भागीदारिता को प्रोत्साहित करने का साधन है।

- सिविल समाज बहुलवाद का समर्थक एवं निरंकुषतावाद का विरोधी है।
- सिविल समाज राज्य का विरोधी नहीं है पर राज्य की षक्ति को वर्गीय हित के संदर्भ में नियंत्रित करने पर जोर देता है।
- आज के बाजार–व्यवस्था में सिविल समाज बाजार आधारित लोगों के आपसी विवाद को सुलझाने में लगा हुआ है।

सिविल समाज की भूमिका

सिविल समाज का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राज्य के षक्तियों पर नियंत्रण बनाये रखे। भारत जैसे देष जो कि सदियों तक गुलामी के बाद आजाद हुआ, यहां के नौकरषाही आज भी परंपरागत औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है। राजनीतिक दल एवं नेता भी जनता का विश्वास पाकर प्राप्त शक्ति के मद से चूर होकर अपने संवैधानिक दायित्व के पथ से अक्सर भटकते नजर आते है। ऐसे में सिविल समाज इन पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाकर इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने का बाध्य करते हैं। सिविल समाज के कार्यकर्त्ता नौकरशाहों एवं अधिकारियों पर नजर रखते है कि वो कैसे कार्य करते है। वे अगर षक्ति का दुरूपयोग करते है। वे सूचना तक पहुंच के लिए लॉबिंग करते है और भ्रश्टाचार पर नियंत्रण रखते है।

राजनीतिक सहभागिता के मामले में भी सिविल सोसायटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। गैर–सरकारी संगठन लोगों को उसके अधिकार, कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारी के बारे में जो कि उन्हें लोकतांत्रिक नागरिक बनाता है, शिक्षा देकर राजनीति में सहभागी बना सकता है। वो लोगों को लोक मुद्दों पर बहस करने, राजनीतिक दनों के सामने उठाने एवं अपनी समस्याओं के आलोक में जनप्रतिनिधियों के चुनाव में सतर्कता बरतने को तैयार कर सकता है।

सिविल सामाजिक संगठन लोकतांत्रिक जीवन के अन्य मूल्यों के विकास में भी कारगर है जैसे कि– संयम, आधुनिकता, समझौता और विरोधियों के विचारों के प्रति भी आदर आदि। बिना इन गुणों के भारत जैसे विविधतावाले देष में लोकतंत्र को मजबूत कर पाना काफी कठिन है। इन संगठनों द्वारा समय–समय पर चलाये जाने वाले वाद–विवाद कार्यक्रम, संगोश्ठी, सेमिनार आदि से इन गुणों का विकास होना स्वभाविक है।

सिविल समाज लोकतंत्र एवं मानवाधिकार प्रषिक्षण से भी काफी गहरे रूप से जुड़ा है। इस संदर्भ में लोक षिक्षा व्यवस्था के विकास एवं प्रसार तथा गुणवत्ता नियंत्रण में यह कारगर है। ये युवा षक्ति को भारत के गौरवषाली इतिहास से प्रेरित

कर अपराध, हिंसा, संप्रदायिक दंगे, नक्सलवाद आदि के खिलाफ मुहिम छेड़ सकता है।

पांचवा, सिविल समाज एक ऐसा जगह है जहां अलग–अलग हितों को एक साथ जोड़कर सामूहिक हित में बदल दिया जाता है। यह समाज अपने सदस्यों जैसे महिला, विद्यार्थी, कृषक, पर्यावरणविद्, ट्रेड यूनियन, वकील, डॉक्टर आदि के चिंताओं एवं आवष्यकताओं या जरूरतों के लिए लॉबिंग करता है। ये संगठन यथा गैर–सरकारी संगठन या हित समूह इन संबंध में राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों के सामने अपना विचार रखते है एवं उन पर लॉबिंग के जरिये दबाब बनाते हुए अपने सदस्यों की मांगों को पूरा करवाने की कोषिष करता है। इस तरह न केवल संसाधन संपन्न व्यक्ति ही अपनी आवाज उठा सकता है बल्कि दलित–कुचलित वर्ग, समाज की मुख्यधारा से कटे वर्ग भी खुद को इन सामाजिक संगठनों के सहयोग से संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते है।

छठा, भारत जैसे देष में जहां विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति, वर्ग आदि के लोग रहते है। वहां इनके बीच अपने धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर एकजुटता लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पायेगा। बल्कि देष की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक है कि विभिन्न समुदायों, धार्मिक संस्थाओं, लोगों आदि के बीच भ्रातष्त्व एवं अपनापन हो। सिविल समाज एक ऐसी जगह है जहां सभी लोग अपने संकीर्ण पहचान को भूलाकर सामान्य हित के लिए एक हो जाते है। जैसे कि व्यवसायिक समूह, शिक्षक संघ, मजदूर यूनियन आदि। ऐसे में लोक जीवन अधिक मजबूत, अधिक जटिल एवं अधिक संयमित हो जाता है।

सातवां, सिविल समाज भविष्य के राजनीतिक नेताओं के लिए प्रषिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करता है। गैर–सरकारी संगठन और अन्य इस तरह के समूह इस तरह के नये नेताओं को पहचान कर प्रशिक्षित कर सकता है। जो कि महत्वपूर्ण लोक मुद्दों पर कार्य कर रहा हो या करने में सक्षम हो। ऐसे लोगों को आगे प्रोत्साहित कर स्थानीय, राज्य या राश्ट्र स्तर के राजनीति में प्रवेष दिलाने में सहयोग कर सकता है।

आठवां, सिविल सोसायटी लोगों को महत्वपूर्ण लोक मुद्दों के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह कार्य केवल मिडिया का न होकर ऐसे सामाजिक संगठनों का भी है। इस तरह के संगठन न केवल सूचना प्रदान करते है बल्कि इस पर सार्वजनिक बहस भी करवाते रहते है। और ऐसे लोक नीति के बारे में जो कि एक बड़े तबके को प्रभावित करता है के बारे में सरकार को जनता की राय से अवगत कराता है।

नौवा, सिविल समाज संगठन विवाद को खत्म करने में मध्यस्थता करके एवं अन्य तरह से सहायकता देकर मदद कर सकता है। कई अन्य देषों में तो एन. जी.ओ. जैसे संगठन ने एक औपचारिक कार्यक्रम एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है जो कि राजनीतिक एवं सामुदायिक विवाद को सुलझाने में कारागर हो। साथ ही साथ ऐसा वातावरण तैयार करता है। जिसमें लोग मिल बैठकर आपसी विवाद को सुलझा सकते है। दसवां, सिविल समाज चुनाव प्रक्रिया पर भी पैनी नजर रखता है। इसलिए ये संगठन आपस में तारतम्य बिठाकर जो कि राजनीतिक दलों एवं प्रत्याषियों से किसी प्रकार का संबंध न रखते हुए, विभिन्न मतदान केंद्र पर तटस्थ पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर स्वतंत्र, शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना को सुनिष्चित करने पर जोर देता है। आज के समय में यह कहना ज्यादा उचित है कि सिविल समाज निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए एक आवष्यक षर्त है।

ग्यारह, सिविल समाज की भूमिका वहां और भी ज्यादा प्रासंगिक जान पड़ती है जहां तक सरकारी तंत्र की पहुंच नहीं है। जहां तक हमें ज्ञात है कि बाजार कारक समाजिक रूप से अंधे होते है, इसके कारण सामान्यतः असमता, अन्याय, एवं भ्रश्टाचार पनपता है। ऐसे में सिविल समाज लोगों को जागरूक बनाकर बाजार को भी सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों के प्रति आदर करने के बाध्य करता है।

बारह, सिविल समाज वैसे हितों जो कि या तो प्रस्तुत नहीं किये जा सके है या फिर जिनकी अनदेखी की गयी हैं, के लिए एक उत्प्रेरक एवं वकालत करने का काम करता है। अगर सरकार अपने केंद्रीय योजना के मैकेनिज्म से ऐसे हितों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो सिविल समाज ऐसे में अपनी भूमिका निभाता है।

सिविल समाज एवं भ्रष्टाचार

आज भारत में भ्रष्टाचार का मुद्दा एकदम ज्वलंत है। इस संबंध में अन्ना हजारे के नेतष्त्व में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाया गया मुहिम एवं इससे बड़े पैमाने पर आम जनता का जुड़ना सिविल समाज की इस संबंध में भूमिका को स्पष्ट करता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर एवं सिविल समाज तीनों को एक मंच पर आना होगा। पर सवाल उठता है कि अगर सरकार एवं प्राईवेट सेक्टर अपनी भूमिका से पीछे हटते है तो क्या होगा। ऐसे में सिविल समाज सरकार को याद दिलाता रहता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करे अन्यथा लोगों के हित एवं आषाएं पूरी नहीं हो पायेगी। साथ ही साथ वह इन्हें अगाह करती है कि वे अपनी सीमाओं को पहचाने एवं उसका ख्याल रखें। यद्यपि भ्रष्टाचार के कारण हर जगह अलग–अलग हो सकते है पर सिविल समाज लोगों को संगठित कर, सुध ाार प्रक्रिया को एकसाथ कर, भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने में मदद कर सकता है।

यह सत्य है कि बिना सरकार एवं प्राइवेट सेक्टर के सहायता के बिना तीनों में उचित समन्वय एवं भ्रश्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। पर अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो सिविल समाज जनता को जागरूक एवं संगठित कर सरकार को सहयोग करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस संबंध में मीडिया एवं अन्य जनसंचार के साधनों का भी अहम भूमिका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेषनल का मानना है कि भ्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सिविल समाज महत्वपूर्ण है।

यूरोपियन यूनियन एवं ऑरगानाइजेषन ऑफ अमरीकन स्टेटस के इंटर अमरीकन एंटी करप्सन कॉनवेषन में भी भ्रश्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सिविल समाज को महत्वपूर्ण माना गया है।

भारत के संविधान में सिविल समाज का हलांकि कोई उल्लेख नहीं है पर संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जैसे संघ बनाने का अधिकार बोलने का अधिकार आदि अप्रत्यक्ष रूप से सिविल समाज की ओर ही इषारा करता है। इसके अतिरिक्त सिविल समाज के स्थापना के आधार के रूप में धर्मनिरपेक्षवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, नागरिकता के महत्व एवं योगदान को देखा जा सकता है। विधि के षासन के भी महत्व एवं योगदान को देखा जा सकता है। विधि का षासन भी सिविल समाज के लिए आवष्यक है। एक बात स्पश्ट होनी चाहिए कि सिविल समाज एवं राज्य एक–दूसरे का पूरक है या यूं कहे कि सिविल समाज की भूमिका बहुत हद तक राज्य की नीतियों पर निर्भर करता है। इसलिए दोनों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। तनाव के क्षण उस समय उत्पन्न हो जाते है जब सरकार का रवैया टालमटोल का हो एवं जनता सिविल समाज के तहत संगठित हो अपने हितों के प्रति जागरूक हो। पर एक आदर्ष स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए यह है कि सिविल समाज एवं राज्य एक साथ मिलकर कार्य करें।

सन्दर्भ गर्न्थ सूची

1. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दिनाँक 8 अक्टूबर 2008, पेज नं0 22, 23 (सामयिक आलेख) प्रकाषक एवं मुद्रक मष्णाल ओक्षा।
2. तदैव ।
3. तदैव ।
4. तदैव ।
5. कुरूक्षेत्र, पत्रिका, दिनांक 08 अक्टूबर 2013, पेज नं0 8, 9 प्रकाषन, नई दिल्ली।
6. तदैव ।

7. तदैव ।
8. दैनिक जागरण, समाचार पत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2009।
9. तदैव ।
10. तदैव ।
11. परीक्षावाणी, किताब, पेज संख्या 26, 27 लेखक केषरीनन्दन त्रिपाठी, बौद्धिक प्रकाषन, इलाहाबाद।
12. तदैव ।
13. तदैव ।
14. तदैव ।
15. तदैव ।